दिनांक 30.03.2018

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ एवं सुदर भिलाई**

वर्दी नहीं पहनकर आने वाले कर्मचारियों का कटेगा वेतन–आयुक्त

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम, भिलाई के आयुक्त के0एल0 चौहान ने एक आदेश जारी करते हुए निर्देशित किया कि नगर निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय एवं जोन अनुविभाग कार्यालय में कार्यरत् तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी वर्दी में उपस्थित नहीं पाये जाते हैं जिन कर्मचारियों को निगम द्वारा वर्दी एवं धुलाई भत्ता प्रदान किया जाता है ऐसे कर्मचारी वर्दी पहनकर अपने कार्य पर उपस्थित हो। इस संबंध में समस्त विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि अपने अधीनस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दी पहनकर अपने कार्य उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें।

निगम आयुक्त श्री चौहान ने सभी विभाग प्रमुखों एवं जोन आयुक्तों को सक्त निर्देश देते हुए कहा कि उनके अधिनस्त कर्मचारी वर्दी पहनकर नहीं आते उनकी सूची प्रतिदिन तत्काल सामान्य प्रशासन विभाग को भेजे एवं उपस्थिति पंजी में उनकी अनुपस्थिति दर्ज करें तथा मासिक वेतन प्रदाय किये जाने हेतु बनाये जाने वाले पेडाटा में भी अनुपस्थिति दर्ज कर सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित करें। श्री चौहान ने कहा कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी एवं धुलाई भत्ता कार्यालय में वर्दी पहनकर आने के लिए प्रदाय किया जाता है प्रायः देखा जाता है कि कर्मचारी वर्दी पहनकर अपने कार्य पर उपस्थित नहीं होते हैं। जो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आते हैं। ऐसे कर्मचारियों के उपर सेवा आचरण नियम के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी एवं उन्हे वर्दी एवं धुलाई भत्ते प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी तथा उक्त दिनांक की अनुपस्थिति दर्ज की जावेगी।

निगम आयुक्त श्री चौहान ने ऐसे कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वे वर्दी पहनकर अपने कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर कार्य का संपादन करें साथ ही मेरे एवं मेरे द्वारा अधिकृत अधिकारी किसी भी विभाग एवं जोन कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया जावेगा। निरीक्षण के दौरान बिना वर्दी के अपने कार्य पर उपस्थित पहने वाले कर्मचारियों के उपर उक्त दिनांक की अनुपस्थिति दर्ज कर वेतन काटा जावेगा तथा विभाग प्रमुखों को भी इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जा सकती है। इसलिए समस्त विभाग प्रमुख मेरे द्वारा जारी किये हुए आदेश का अपने अधीनस्त कर्मचारियों को पालन कराना सुनिश्चित करे तथा प्रतिदिन वर्दी नहीं पहनकर आने वाले कर्मचारियों की सूची अनिवार्य रुप से सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करावें।

जनसम्पर्क अधिकारी